पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 333/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 27.10.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 27.10.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- कोतवाली जनपद आजमगढ़: मिलावटी खोवा बनाने वाले गिरोह में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण–

अवगत कराना है कि दिनांक 27.10.24 को उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा मुखबिर कि सूचना पर मु0अ0सं0 593/24 धारा 274/275 बीएनएस व 51/52 खाद्य पदार्थ में अपमिश्रित नि0 अधि0 2006 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजकुमार अग्रवाल पुत्र लालचन्द अग्रवाल मूल निवासी मोहल्ला डंगीनगंज थाना कोतवाली कटरा जनपद मिर्जापुर हाल पता बिहारी जी का मंदिर के पास चौक थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 45 वर्ष को समय 09.05 बजे ग्राम प्राइवेट बस अड्डा नरौली से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। उक्त मुकदमे से सम्बन्धित 12 अभियुक्त पूर्व में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण–

राजकुमार अग्रवाल पुत्र लालचन्द्र अग्रवाल नि0 डंकीनगंज थाना कोतवाली कटरा जनपद मिर्जापुर हाल पता बिहारी जी मन्दिर चौक थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 45 वर्ष बदरियाफ्त पूछने पर बता रहा है कि मै हरिओम आदि के साथ मिलकर लाभ कमाने के लिए करीब 01 वर्ष से आजमगढ़ मे हरिओम आदि से अपमिश्रित मिठाई तैयार करने के लिए सामान ले जाता था और उस सामान से अपमिश्रित मिठाई बनाकर सप्लाई विभिन्न मार्केटों मे करता था। इसको बनाने के लिए हम लोग मिल्क पाऊडर, सूजी, सस्ता रिफाइंड तेल, कलर के लिए पेंट, सोडियम फार्मूलिक हाईड्रेट, सोडियम फार्मेल्डिक हाईड्रेट सल्फाक्सिलेट, साइट्रिक एसिड (जो मानव प्रयोग हेतु नहीं होती है) आदि सामानों को मिलाकर हम नकली खोया तैयार कर मिठाईयां तैयार कर इन मिठाईयों को बूढ़नपुर, मुबारकपुर सठियांव, शाहगढ़ में सप्लाई करता था।

02.थाना-रौनापार जनपद आजमगढ:किशोरी के साथ छेड़खानी करने में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

अवगत कराना है कि वादिनी मुकदमा द्वारा थाना रौनापार पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 25.10.24 को वादिनी की छोटी बहन उम्र 12 वर्ष कम्पोजिट विद्यालय मानिकपुर (महाजी देवारा) मे पढने गयी थी तभी विपक्षी प्रिंसिपल रामधारी यादव द्वारा वादी की छोटी बहन को स्कूल के आफिस में बुलाकर छेड़खानी किया जिसके संबन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 411/24 धारा 74,76 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम रामधारी यादव (प्रिंसिपल) पता अज्ञात थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 27.10.24 को उ0नि0 मधुसूदन मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामधारी यादव(प्रभारी प्रधानाध्यापक) पुत्र स्व0 गंगा यादव सा0 आराजी अजगरा मगर्वी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 60 वर्ष को बेलहिया ढाला बहद ग्राम अजगरा मगर्वी से समय करीब 08.30 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

03.थाना देवगांव जनपद आजमगढ़: महिला के साथ छेड़खानी व बलात्कार करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 26.10.2024 को आवेदिका द्वारा थाना देवगांव पर लिखित तहरीर दिया कि आरोपी आशीष यादव पुत्र नन्दलाल यादव निवासी कहला सिकन्दरपुर थाना देवगांव आजमगढ़ द्वारा वादिनी के साथ छेड़खानी करने, आये दिन परेशान व छेड़खानी करने तथा जबरजस्ती नाजायज सम्बन्ध बनाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 379/2024 धारा 64,74,351(2) बीएनएस बनाम आशीष पुत्र नन्दलाल यादव निवासी कहला सिकन्दरपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 268.10.2024 को व0उ0नि0 शशिकान्त मय हमराह मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आशीष यादव पुत्र नन्दलाल यादव निवासी कहला सिकन्दरपुर थाना देवगांव आजमगढ़ को एक मोटर साइकिल सहित बैरीडिह मोड़ से समय करीब 09.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

04.थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़: अवैध असलहा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 26.10.2024 को उ0नि0 अमित कुमार त्रिपाठी मय हमराह कैथीशंकरपुर ओवरब्रिज के निचे अंडरपास से कैथीशंकरपुर गांव के तरफ जाने वाली सडक पर खडे होकर समय 11.25 बजे वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस द्वारा संदिग्ध प्रतीत होने पर उसको पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम करण कुमार पुत्र रंजीत प्रसाद शाह निवासी कासीम बाजार भगवती मन्दिर के पास, थाना कासीम बाजार, जनपद मुंगेर (बिहार) बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से 01 अवैध तमंचा, 01 कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 380/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना देवगांव जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

05.थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़: गैगेस्टर एक्ट मे वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 27.10.2024 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा क्षेत्र में रवाना होकर देखभाल में मामूर थे कि क्षेत्र भ्रमण से ज्ञात हुआ कि गैंग लीडर राकेश पुत्र योगेन्द्र प्रसाद उर्फ जोगिन्दर हलुवाई सा0 पुराना थाना कस्बा व थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ने अपने सह अभियुक्त/ सदस्य के साथ मिलकर मोटर साईकिल चोरी का संगठित अपराधिक गिरोह कायम कर आर्थिक भौतिक, दुनियाबी लाभ अर्जित कर रहा हैं, जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय हैं। इस गैंग के लीडर गैंग लीडर राकेश पुत्र योगेन्द्र प्रसाद उर्फ जोगिन्दर हलुवाई सा0 पुराना थाना कस्बा व थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ व सहअभियुक्त/सदस्य के क्षेत्रो से मोटर साईकिल व साईकिल चोरी करने जैसे संगीन अपराध कारित करने से लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हुयी उक्त गिरोह द्वारा भौतिक, आर्थिक व दुनियाबी लाभ के लिए मोटर साईकिल व साईकिल की चोरी करने जैसे अपराध कारित करने हेतु अग्रसर है। उपरोक्त के आधार पर मु0अ0सं0 576/2024 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधि0 थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण –

उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त राकेश पुत्र योगेन्द्र प्रसाद उर्फ जोगिन्दर हलुवाई सा0 पुराना थाना कस्बा व थाना सरायमीर ,जनपद आजमगढ को बैलुउलुम मदरसा के पास से समय करीब 14.00 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया।

अपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं	धारा	थाना	जनपद
1.	56/2024	379/411/34 भादवि	सरायमीर	आजमगढ़
2.	150/2021	379/411 भादवि	सरायमीर	आजमगढ़
3.	08/2023	60 आबकारी अधि0	सरायमीर	आजमगढ़
4.	65/2024	3/25 आयुध अधिनियम	सरायमीर	आजमगढ़
5.	576/24	धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधि0	सरायमीर	आजमगढ़

06.थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़: छेड़खानी करने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा मे

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक 04.09.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना मुबारकपुर पर लिखित तहरीर दिया गया कि स्वयं की नाबालिग भतीजी के साथ ग्राम पाही जमीन पाही के बाल अपचारी द्वारा छेड़छाड़ किया गया जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 347/2024 धारा 74/78(1) BNS व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 27.10.2024 को उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्रा मय हमराह पुलिस बल मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को उसके घर ग्राम पाही जमीन पाही से समय करीब 12.25 बजे पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया।

07.थाना- जीयनपुर जनपद आजमगढ़: प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र स्व0 रूद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ का जोन स्तर आई0आर0 गैंग पंजीकृत

प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र स्व0 रूद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष द्वारा अपने गैंग के सदस्यो के साथ मिलकर अपराधिक गतिविधियो से अवैध धन कमाने के उद्देश्य से जनपद आजमगढ़,मऊ,जौनपुर एंव लखनऊ में हत्या, लूट,डकैती,चोरी तथा हत्या के प्रयास व धोखाधड़ी जैंसे जघन्य अपराध कारित करता हैं। इस गिरोह के समाज विरोधी क्रिया कलापों व अपराधिक गतिविधियो पर प्रभावी नियत्रंण/निगरानी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व क्षेत्राधिकारी महोदय सगड़ी के कुशल पर्वेक्षण में अभियुक्त ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र स्व0 रूद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष व उनके सदस्यों के विरूद्ध गैंग पजीकरण करने हेतु दिनांक 14.10.2024 को रिपोर्ट प्रेषित की गयी। श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ महोदय के अनुमोदनोपरान्त श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी महोदय द्वारा प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र स्व0 रूद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष व सहयोगी / सह अभियुक्त 1. बन्दना सिंह पत्नी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र स्व0 रुद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ 2. शिवप्रकाश पुत्र लालचन्द निवासी सरदारपुर थाना मुबारक पुर जनपद आजनगढ़ 3. वालकरन उर्फ साधु यादव पुत्र अर्जुन यादव निवासी हरई स्माइलपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ 4. राजेन्द्र यादव पुत्र रामसुरत यादव निवासी करतार पुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ 5. सिवेश कुमार सिंह रामबली सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ 6. मनोज सिंह पुत्र रामपलट निवासी हरई स्माइलपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ 7. अभिषेक सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी खुटहन थाना तरवा आजमगढ़ 8. रामकरन यादव पुत्र अर्जुन यादव निवासी हरई स्माइलपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ 9. मनोज सिंह पुत्र बालगोविन्द सिंह निवासी सुतरही थाना मोहम्दाबाद जनपद मऊ के अपराधिक गतिविधियो पर सतत निगरानी/प्रभावी अकुश लगाये जाने हेतु इनका गैंग जोन स्तर पर **''आई0आर0-36''** के रुप में सूचीबद्ध किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति

बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत आपरेशन बचपन अभियान तथा अखिल भारतीय बाल बचाव एवं पुनर्वास, किशोर श्रम उन्मूलन अभियान

आज दिनांक 27.10.2024 को निदेशक, मुख्यालय महिला एंव बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति फेज 5 के आपरेशन बचपन अभियान तथा अखिल भारतीय बाल बचाव एवं पुनर्वास, किशोर श्रम उन्मूलन हेतु दिनांक 21.10.2024 से 20.11.2024 तक संचालित अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में एवं नोडल अधिकारी थाना ए.एच.टी. अपर पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय के पर्यवेक्षण में थाना एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकंग, चाइल्ड लाइन, वन स्टॉप सेन्टर व बाल कल्याण समिति की संयुक्त टीम द्वारा जनपद आजमगढ़ में बाल भिक्षावृत्ति एवं बालश्रम उन्मूलन, मानव तस्करी, नशामुक्ति अभियान चलाया गया, उक्त अभियान के दौरान थाना क्षेत्र कन्धरापुर में भंवरनाथ मन्दिर, थाना क्षेत्र कोतवाली के जिला अस्पताल, पहाड़पुर तिराहा, चौक बाजार व आजमगढ़ बस स्टैण्ड पर सघन अभियान चलाया गया। उक्त अभियान में कुल 05 बच्चे बाल भिक्षावृत्ति करते हुये पाये गये। जिन्हें बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कराते हुए, बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मुक्त कराये गये बाल भिक्षुकों को बाल कल्याण समिति की देखरेख में उनके माता पिता की सुपुर्दगी में दिया गया तथा हिदायत दी गयी कि बच्चों से भविष्य मे बाल श्रम व बाल भिक्षावृत्ति न करायें। संयुक्त टीम द्वारा दुकानदारों/ जनता के लोगों को बालश्रम व बाल भिक्षावृत्ति न कराने पर जोर दिया गया तथा सम्बन्धित स्थानों पर पोस्टर चस्पा कर लोगों को जागरुक किया गया तथा इमरजेंसी सहायता हेतु शासन एवं प्रशासन द्वारा जारी टोल फ्री हेल्प लाइन नंम्बरों 108, 112, 1090, 1098,1076,1930,181 आदि के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी।

उक्त अभियान में सम्मिलित अधिकारी कर्मचारीगण-

1. प्र0नि0 श्री अभय राज मिश्र, थाना एएचटी आजमगढ़।
2. उ0नि0 श्री बृजमोहन सिंह, थाना एएचटी आजमगढ़।
3. श्री अखिलेश सिंह, सी.डब्लू.सी. सदस्य आजमगढ़।

4. श्री श्री संजय शाही प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर चाइल्ड लाइन, आजमगढ़ मय टीम
5. का0 आशीष प्रताप सिंह, थाना एएचटी आजमगढ़।
6. का0 रोहित मिश्र, थाना एएचटी आजमगढ़।
7. म0का0 पूनम द्विवेदी, थाना एएचटी आजमगढ़।
8. म0का0 सुप्रिया पाल, थाना एएचटी आजमगढ़।
9. सरिता पाल, सेन्टर मैनेजर, वन स्टॉप सेन्टर आजमगढ़ मय टीम।